उत्तर प्रदेश शासन

वित्त(सेवायें) अनुभाग-2

संख्या-30/2019/ एस-2-621/दस-2019-33(72)/1993

लखनऊ :: दिनॉक:09 मई,2019

<u>शुद्धि-पत्र</u>

शासन की विज्ञप्ति/सेवानिवृत्ति संख्या-8/2019/एस-2-3083/दस-2018-33(72)/1993, दिनॉक 15जनवरी,2019 द्वारा उ0प्र0 वित्त एवं लेखा सेवा के ऐसे अधिकारी जो अपनी 60 वर्ष की अधिवर्षता आयु पूर्ण करने के फलस्वरूप वर्ष-2019में सेवानिवृत्त हो रहें है, की सूची निर्गत की गयी।

2- उक्त विज्ञप्ति/सेवानिवृत्ति दिनॉक 15-01-2019 में ग्रेड वेतन रू0 8700 के क्रमॉक-5 पर अंकित श्रीमती निवेदिता की जन्मतिथि एवं सेवानिवृत्ति की तिथि निदेशक कोषागार के प्रस्तावानुसार क्रमश: दिनॉक 07-9-1959 एवं दिनॉक 30-9-2019 अंकित हो गयी है।

3- श्रीमती निवेदिता द्वारा प्रार्थना-पत्र दिनांक 26-03-2019 के साथ सेवा पुस्तिका एवं हाई स्कूल प्रमाण-पत्र की सत्यापित प्रति उपलब्ध कराते हुए जन्मतिथि 29-07-1959 अंकित किये जाने का अनुरोध किया गया है। सेवा पुस्तिका एवं हाई स्कूल प्रमाण-पत्र के आधार पर विज्ञप्ति/सेवानिवृत्ति संख्या-8/2019/एस-2-3083/दस-2018-33(72)/1993, दिनॉक 15 जनवरी, 2019 में उल्लिखित श्रीमती निवेदिता की जन्मतिथि 07-09-1959 के स्थान पर दिनॉक 29-7-1959 एवं सेवानिवृत्ति की तिथि 31-7-2019 अंकित की जाती है।

4- उक्त विज्ञप्ति/ सेवानिवृत्ति संख्या-8/2019/एस-2-3083/दस-2018-33(72)/1993, दिनॉक 15 जनवरी, 2019 को इस सीमा तक संशोधित समझी जाय।

विद्या कुमार

अनु सचिव।

<u>संख्या-30/2019/एस-2-621(1)/दस-2019, तददिनॉक।</u>

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार(द्वितीय), उ0प्र0 प्रयागराज ।

2- निदेशक, कोषागार निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वे अपने स्तर से समस्त संबंधित विभागाध्यक्षों एवं संबंधित अधिकारियों को भी सूचित करने का कष्ट करें।

3- निदेशक,पेंशन/आंतरिक लेखा/सामूहिक बीमा/वित्तीय प्रबन्ध प्रशिक्षण निदेशालय,उ0प्र0 लखनऊ।

4- निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0 इलाहाबाद को राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ।

5- अपर निदेशक, कोषागार निदेशालय,शिविर कार्यालय, उ0प्र0 प्रयागराज।

6- संबंधित विभाग (जहाँ अधिकारी तैनात है)/ संबंधित अधिकारी।

7- वित्त (सेवायें) अनुभाग-3

8- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(विद्या कुमार)

अनु सचिव।

1-यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2-इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in